संख्या–2285 / अड़सठ–3–2018–765 / 2010

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 13 दिसम्बर, 2018

विषयः–वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक–कम–हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय मद की द्वितीय किस्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या–म0भो0प्रा0 / 2957 / 2018–19 दिनांक 26.09.2018 एवं शासनादेश संख्या–813 / 79–6–2010–765 / 2010, दिनांक–25.05.2018 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम–कुकिंग लागत आदि योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति के कार्यरत 112286 कुक–कम–हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय हेतु केन्दांश के रूप धनराशि रू0–3218.94 लाख एवं राज्यांश के रूप में धनराशि रू0–2145.96 लाख अर्थात कुल रू0–5364.90 लाख (रूपया तिरपन करोड चौसठ लाख नब्बे हजार मात्र) की द्वितीय किस्त के रूप में संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार व्यय किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) की सेवाएं वर्ष में केवल 10 माह के लिए ही ली जायेंगी ।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय / उपयोग एस0सी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार तथा उपलब्ध केन्द्रांश सीमा के अन्तर्गत किया जाएगा ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों / प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय / उपभोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद के लिए स्वीकृति निर्गत की जा रही है। इससे इतर व्यय / उपभोग करने पर विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगें।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जाति के चिहिंत कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) को मानदेय 10 माह के लिये दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(6) संबंधित जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की दशा में मध्यान्ह भोजन निधि में उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि एन0जी0ओ0, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खाते में उपलब्ध कराया जाएगा ।

(7) मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक–कम–हेल्पर को मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा एवं इस हेतु संबंधित कुक–कम–हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

(8) उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि आगामी किस्त की धनराशि का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से पूर्व केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त कर लेगें तथा योजना में पूर्व में स्वीकृति की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जनपदों से प्राप्त कर प्रस्तुत करेगें।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक लेखानुदान में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष '2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना –01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0103–मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–कुकिंग लागत आदि (के.60/रा.40–के.+रा.) – 20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–11 के अशासकीय सं0–ई–11–1367/दस–18 दिनांक–13 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–2285(1)/अड़सठ–3–2018–765/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3– श्रमायुक्त, कानपुर।
4– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
5– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।
6– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
7– वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
8– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9– वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3।
10– वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ शिक्षा विभाग।
11– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
12– समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
13– समस्त वित्त एंव लेखाधिकारी, बेसिक,उ0प्र0।
14– बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
15– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव ।

संख्या–2285/अड़सठ–3–2018–765/2010

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 13 दिसम्बर, 2018

विषयः–वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक–कम–हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय मद की द्वितीय किस्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या–म0भो0प्रा0/2957/2018–19 दिनांक 26.09.2018 एवं शासनादेश संख्या–813/79–6–2010–765/2010, दिनांक–25.05.2018 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम–कुकिंग लागत आदि योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति के कार्यरत 112286 कुक–कम–हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय हेतु केन्दांश के रूप धनराशि रू0–3218.94 लाख एवं राज्यांश के रूप में धनराशि रू0–2145.96 लाख अर्थात कुल रू0–5364.90 लाख (रूपया तिरपन करोड चौसठ लाख नब्बे हजार मात्र) की द्वितीय किस्त के रूप में संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार व्यय किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) की सेवाएं वर्ष में केवल 10 माह के लिए ही ली जायेंगी ।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार तथा उपलब्ध केन्द्रांश सीमा के अन्तर्गत किया जाएगा ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों/प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद के लिए स्वीकृति निर्गत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपभोग करने पर विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगें।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जाति के चिहिंत कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) को मानदेय 10 माह के लिये दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(6) संबंधित जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की दशा में मध्यान्ह भोजन निधि में उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि एन0जी0ओ0, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खाते में उपलब्ध कराया जाएगा ।

(7) मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक–कम–हेल्पर को मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा एवं इस हेतु संबंधित कुक–कम–हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

(8) उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि आगामी किस्त की धनराशि का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से पूर्व केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त कर लेगें तथा योजना में पूर्व में स्वीकृति की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जनपदों से प्राप्त कर प्रस्तुत करेगें।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक लेखानुदान में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष '2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना –01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0103–मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–कुकिंग लागत आदि (के.60 / रा.40–के.+रा.) – 20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–11 के अशासकीय सं0–ई–11–1367 / दस–18 दिनांक–13 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–2285(1) / अड़सठ–3–2018–765 / 2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3– श्रमायुक्त, कानपुर।
4– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
5– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।
6– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
7– वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
8– समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9– वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1 / वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3।
10– वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ शिक्षा विभाग।
11– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
12– समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
13– समस्त वित्त एंव लेखाधिकारी, बेसिक,उ0प्र0।
14– *बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग / कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग* उ0प्र0 शासन।
15– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव ।

Enclosure of G.O.

[Mid-Day-Meal Scheme]
Fund Allocation for Honorarium to Cook-cum-helper
FY 2018-19: Grant-83: 2nd Installment

(Rs. in Lac)

S.N.	Districts	No. of cook-cum-helper in SCP Category as given by districts in QPR of 1st Qtr.	Funds for Honorarium to cook-cum-helper Being Released as 2nd Installment @Rs. 1000/- per cook per month		
			Central	State	Total
1	2	3	4	5	6=4+5
1	01-Agra	1118	32.20	21.46	53.66
2	02-Aligarh	1303	37.52	25.02	62.54
3	03-Allahabad	5134	147.86	98.57	246.43
4	04-Ambedkar nagar	1422	40.96	27.30	68.26
5	05-Auraiya	455	13.10	8.74	21.84
6	06-Azamgarh	4024	115.89	77.26	193.15
7	07-Badaun	1063	30.61	20.41	51.02
8	08-Baghpat	338	9.73	6.49	16.22
9	09-Bahraich	2729	78.59	52.40	130.99
10	10-Ballia	1528	0.00	0.00	0.00
11	11-Balrampur	762	21.95	14.63	36.58
12	12-Banda	1581	45.53	30.36	75.89
13	13-Barabanki	1363	39.25	26.17	65.42
14	14-Bareily	736	45.20	30.13	75.33
15	15-Basti	1424	41.01	27.34	68.35
16	16-Bhadohi	955	27.50	18.34	45.84
17	17-Bijnour	2027	58.38	38.92	97.30
18	18-Bulandshahar	1755	21.06	14.04	35.10
19	19-Chandauli	2315	74.92	49.95	124.87
20	20-Chitrakoot	1303	37.52	25.02	62.54
21	21-Amethi	1090	31.39	20.93	52.32
22	22-Deoria	1684	48.50	32.33	80.83
23	23-Etah	649	18.69	12.46	31.15
24	24-Faizabad	1532	44.12	29.42	73.54
25	25-Farrukhabad	216	6.22	4.15	10.37
26	26-Fatehpur	2175	62.64	41.76	104.40
27	27-Firozabad	455	13.10	8.74	21.84
28	28-G.B. Nagar	0	0.00	0.00	0.00
29	29-Ghazipur	2242	64.57	43.05	107.62
30	30-Ghaziyabad	500	14.40	9.60	24.00
31	31-Gonda	1657	47.72	31.82	79.54
32	32-Gorakhpur	3437	98.99	65.99	164.98
33	33-Hameerpur	904	26.03	17.36	43.39
34	34-Hardoi	2814	81.04	54.03	135.07
35	35-Hathras	922	37.40	24.93	62.33
36	36-Itawah	240	6.91	4.61	11.52
37	37-J.P. Nagar	854	24.59	16.40	40.99
38	38-Jalaun	1037	29.87	19.91	49.78
39	39-Jaunpur	1655	47.66	31.78	79.44
40	40-Jhansi	1466	42.22	28.15	70.37
41	41-Kannauj	195	5.62	3.74	9.36
42	42-Kanpur Dehat	388	11.17	7.45	18.62

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव
बेसिक शिक्षा विभाग
उ० प्र० शासन

Enclosure of G.O.

[Mid-Day-Meal Scheme]
Fund Allocation for Honorarium to Cook-cum-helper
FY 2018-19: Grant-83: 2nd Installment

(Rs. in Lac)

S.N.	Districts	No. of cook-cum-helper in SCP Category as given by districts in QPR of 1st Qtr.	Funds for Honorarium to cook-cum-helper Being Released as 2nd Installment @Rs. 1000/- per cook per month		
			Central	State	Total
1	2	3	4	5	6=4+5
43	43-Kanpur Nagar	1161	33.44	22.29	55.73
44	44-Kaas Ganj	370	10.66	7.10	17.76
45	45-Kaushambi	1352	40.04	26.70	66.74
46	46-Kushinagar	3567	102.73	68.49	171.22
47	47-Lakhimpur Kheri	2597	74.80	49.86	124.66
48	48-Lalitpur	555	15.98	10.66	26.64
49	49-Lucknow	2201	63.39	42.26	105.65
50	50-Mahoba	674	19.41	12.94	32.35
51	51-Mahrajganj	2298	66.18	44.12	110.30
52	52-Mainpuri	329	9.47	6.32	15.79
53	53-Mathura	0	0.00	0.00	0.00
54	54-Mau	1852	53.34	35.56	88.90
55	55-Meerut	899	31.93	21.28	53.21
56	56-Mirzapur	2861	82.40	54.93	137.33
57	57-Moradabad	1679	48.35	32.24	80.59
58	58-Muzaffarnagar	884	25.46	16.97	42.43
59	59-Pilibhit	1281	36.89	24.60	61.49
60	60-Pratapgarh	1528	50.67	33.78	84.45
61	61-Rai Bareily	2386	68.72	45.81	114.53
62	62-Rampur	1462	42.11	28.07	70.18
63	63-Saharanpur	1810	52.13	34.75	86.88
64	64-Santkabir Nagar	1369	41.12	27.41	68.53
65	65-Shahjahanpur	2263	65.17	43.45	108.62
66	66-Shrawasti	997	28.72	19.14	47.86
67	67-Siddharthnagar	3046	87.73	58.48	146.21
68	68-Sitapur	3739	107.68	71.79	179.47
69	69-Sonbhadra	1520	43.78	29.18	72.96
70	70-Sultanpur	1720	49.54	33.02	82.56
71	71-Unnao	1593	45.88	30.58	76.46
72	72-Varanasi	2451	70.59	47.06	117.65
73	73-Sambhal	1315	37.87	25.25	63.12
74	74-Hapur	653	18.80	12.54	31.34
75	75-Shamli	427	12.33	8.17	20.50
	TOTAL	112286	3218.94	2145.96	5364.90

(अनु सचिव)
उत्तर प्रदेश शासन